

प्रेषक,

अरुणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: - /XXX(6)/21-15(01)21

सेवा में,

सचिव,

लोकायुक्त कार्यालय,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-6

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: दिनांक 07 अप्रैल, 2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 423/9(150)2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31 मार्च, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोकायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में विभिन्न वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों हेतु प्राविधानित धनराशि रु 24405000/- (दो करोड़ चवालीस लाख पाँच हजार) के सापेक्ष धनराशि रु 23354000/- (रु० दो करोड़ तैतीस लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान में व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं०-06

लेखाशीर्षक-2062-सतर्कता

103-लोक आयुक्त/उप लोकायुक्त

02-लोक आयुक्त संगठन

क्र०सं०	मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित कुल बजट	अवमुक्त की जा रही धनराशि
01	01 वेतन	15000	15000
02	02 मजदूरी	100	100
03	03 महंगाई भत्ता	4650	4650
04	04 यात्रा व्यय	500	300
05	06 अन्य भत्ते	1800	1800
06	09 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	300	200
07	10 प्रशिक्षण व्यय	1	1
08	11 अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	200	100
09	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	300	200
10	21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200	100
11	22 कार्यालय व्यय	300	200
12	23 किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	1	1
13	24 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	1	1
14	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	350	350

15	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	200	100
16	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	50
17	29 गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	300	150
18	42 अन्य विभागीय व्यय	1	1
19	51 अनुरक्षण	100	50
	योग	24405	23354

(धनराशि रू० हजार में)

(रू० दो करोड़ तैतीस लाख चौवन हजार मात्र)

2- उपरोक्त विवरणानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

- (1) वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 423/9(150)2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31 मार्च, 2021 तथा तत्संबंधी निर्गत शासनादेशों में इंगित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण मासिक समय सारिणी बनाकर व्यय की आवश्यकताओं के आकलन करके ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (3) व्यय करने से जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (4) व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (5) किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि बिना वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
- (6) प्रत्येक माह आवंटन एवं व्यय सम्बन्धी विवरण प्रपत्र सं०-बी०एम०-०८ एवं बी०एम०-१० निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) नियंत्रक अधिकारी के स्तर पर वित्तीय स्वीकृति का रजिस्टर रखा जायेगा। उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक धनराशि किसी भी दशा में न तो आहरित की जाय और न ही व्यय की जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय। यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जायेगा।
- (8) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) वित्तीय वर्ष समाप्ति पर धनराशि नियमानुसार समर्पित किये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, किसी भी दशा में अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त समायोजन, व्यय, अतिरिक्त व्ययभार हेतु आरक्षित नहीं की जायेगी।

- (10) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक के अनुदान सं०-06 के लेखाशीर्षक-2062-00-103-02-00 लोकायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- (11) वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक हेतु धनराशि आवंटन सम्बन्धी अलॉटमेंट आई०डी०-S21040060004 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्न: यथोपरि।

भवदीय,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या:- 295 / XXX(6) / 21-15(01)2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-1 एवं 5।
5. गार्ड फाईल।



(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।